कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 519 /XXIV–18(2020–21) दिनांक नई टिहरी जुलाई, 03, 2020.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र)
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड– जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 हे0 वनभूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34354/2018)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) का फाईल संख्या – 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0सी0/2326 दिनांक 17.01.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2 नई टिहरी के कार्यालय पत्रांक– 225/पी0–सिं0ख0–2/भुत्सी, दिनांक 20.03.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि, तकनीकी अधिकारी (वानिकी) के पत्र संख्या–8बी /यू0 सी0पी0 /06/91/2019/एफ0सी0/2326 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड – जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 हे0 वनभूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर 04 आपत्ति लगायी गयी है। आपत्ति संख्या–04 में ग्राम भुत्सी तक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– सम्बन्धित प्रकरण पर तहसीलदार धनोल्टी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12 मार्च 2020 में उल्लेख किया गया है कि, प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में भुत्सी ग्राम के जुड़ने के उपरान्त मार्ग के अन्तिम छोर से पहले काकड़ा नामें तोक पड़ता है। मार्ग के अन्तिम छोर के उपरान्त खोली, दबयाण, कल्हियाण, गैर व तैल्वाड़ी तोक पड़ते है, उक्त सभी तोक राजस्व ग्राम भुत्सी के है तथा इन तोकों में लगभग 46 परिवार निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 140 है। तहसीलदार धनोल्टी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि, मार्ग ग्राम भुत्सी तक बनाने पर उपरोक्त तोकें भविष्य में किसी भी मार्ग से नहीं जुड़ पायेगी ।

3– इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2 नई टिहरी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि, समरेखण के अन्तर्गत रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि केवल 30 मीटर आती है जो कि ग्राम भुत्सी के संयोजन के पूर्व ही समरेखण के प्रारम्भिक बिन्दु पर है (चैनेज–किमी0 0.000 से किमी0 0.030)। ग्राम भुत्सी के संयोजन के उपरान्त मार्ग के समरेखण में केवल सिविल व नाप भूमि ही है, जिस पर सिविल भूमि में केवल 2 ही पेड़ आते हैं (प्रजाति सीरस, गेठी)। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग का ग्राम भुत्सी तक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मार्ग की लम्बाई लगभग 3.400 कि0मी0 कम हो जाती है, जो कि मार्ग की कुल लम्बाई 7.550 कि0मी0 के 10 प्रतिशत से अधिक है। 10 प्रतिशत से ज्यादा परिवर्तन होने की स्थिति में एन0आर0आर0डी0ए0 के नियमानुसार मार्ग की स्वीकृति को निरस्त किया जा सकता है।

स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा भी मोटर मार्ग के वनभूमि प्रकरण की स्वीकृति हेतु निरन्तर मांग की जा रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग की वनभूमि प्रत्यावर्तन स्वीकृति पूर्ण लम्बाई में (किमी0 7.550) तक प्रदान करना उचित होगा।

संलग्न–यथोपरि।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
2–अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 नई टिहरी।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।